(4)

CP 25/-

1.2.96

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

W.P. No. 450 of 1996.

PETITIONER : Dau Niranjan Lal Gupta, aged about 75 years, son of late Shri Mannulal Gupta, by occupation - Freedom Fighter, r/o Kasaridih, Durg.

VERSUS

RESPONDENTS : 1. Union of India through the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

2. State of Madhya Pradesh through the Secretary, General Administrative Department, Bhopal.

3. The Collector Durg.

4. State of Chhattisgarh through the Secretary, General Administrative Department. Raipur

Amended as per the order of Hon'ble Court. Kafeeka 17/4/02.

PETITION UNDER ARTICLES 226 & 227, CONSTITUTION OF INDIA

(103)

रिट याचिका कंमाक 450 / 1996

दाउ निरंजनलाल गुप्ता

– विरुद्ध –

केन्द्रीय शासन एवं अन्य

आदेश दिनांक – 01/05/2002

क्या लॉ जरनल में प्रकाशित किया जाय – जी हॉ

क्या समाचार पत्र संवाददाता एवं वार्ता इत्यादि अवलोकन कर सकें – जी हॉ

क्या प्रतिलिपि प्रदान की जाय – निःशुल्क सभी पक्षकारों को

Sd/-
Fakhruddin
Judge

01/05/2002

(108) A.F.R

रिट याचिका कमांक 450/1996

दाउ निरंजनलाल गुप्ता

– विरूद्व –

केन्द्रीय शासन एवं अन्य

याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा सहित उपस्थित।

श्री आशुतोष सिंह गहरवार केन्द्रीय शासन के स्थाई वरिष्ठ अधिवक्ता वास्ते अनावेदक कमांक–1

डॉ.एन. के. शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य शासन एवं श्री संजय कुमार अग्रवाल उप महाधिवक्ता राज्य शासन वास्ते अनावेदक कमांक 3 एवं 4

आदेश

द्वारा न्यायमूर्ति श्री फखरूद्दीन

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत प्रस्तुत कर परमादेश जारी करने का अनुतोष इस आधार पर चाहा है कि वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं परंतु राज्य शासन एवं केन्द्रीय शासन ने उनका सम्मान

निधि प्रदाय करने का प्रकरण निरस्त करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया है।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता का जन्म दिनांक 22–4–1922 को दुर्ग जिले के कोसरीडीह कस्बे में हुआ था । याचिकाकर्ता ने मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की है । याचिकाकर्ता एक स्वतांत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में छात्र जीवन सें ही महत्वपूर्ण योगदान दिया । सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय और उससे पूर्व से ही याचिकाकर्ता द्वारा छात्रों तथा आम जनता का आवहान करते हुए कई कवितायें लिखी गईं । उन्होंने एक कविता "स्वतंत्रता दिवस के लिये" दिनांक 29–2–1942 को लिखी जो निम्नानुसार है :

धनवानों ! धनमोह त्याग कर, दीनों हित तजना सीखो।
बलवानों ! निर्बल जन की पुकार, पर मर मिटना सीखो ।।
गुणवानों ! गुणगंध बिखेरो, भारत यह आरत कैसा ।
बिना त्याग बलिदानों के, यह स्वतंत्रता स्वागत कैसा।।

(110)

बच्चों सिंह–नाद से, अवनीतल को तुम कम्पित कर दो ।

युवकों हॅसते हुए देश हित, डरो नहीं अपना सर दो।।

नेता नियम निबाहो सच्चा, अपना अलग स्वार्थ कैसा ।

बिना त्याग बलिदानों के, यह स्वतंत्रता स्वागत कैसा।।

मॉ–बहिनों, घर–बोझ सॅम्हालो, पति पुत्रों को दो आदेश ।

स्वतंत्रता के लिये बिरागी बनकर,मेटें देश–क्लेश ।।

नगर निवासी गण विलासिता के, शिकार धिक धिक कैसा ।

बिना त्याग बलिदानों के, यह स्वतंत्रता स्वागत कैसा।।

क्या प्रताप का तेज नहीं, अथवा दुर्गा की शक्ति नहीं।

गुरू गोविन्द सिंह की जैसी धर्म–भावना भक्ति नहीं।।

भूल गये क्या वीर शिवाजी का था पुरूषारथ कैसा ।

बिना त्याग बलिदानों के, यह स्वतंत्रता स्वागत कैसा।।

पराधीन जन का जग में, जीवन का कोई मोल नहीं ।

स्वतंत्रता युत जीवन में, जो सुख है उसका तौल नहीं।।

तेड़ो पराधीनता के, सारे बंधन वीरों जैसा ।

बिना त्याग बलिदानों के, यह स्वतंत्रता स्वागत कैसा।।

एक अकेला ही प्रहलाद ने, सत्याग्रह के शुचि बल पर।

मानव भू–पति को परास्त कर, दिखलाया इस भूतल पर ।।

त्याग–तपस्या बडी चीज है, अपनाओ गॉधी जैसा ।

बिना त्याग बलिदानों के, यह स्वतंत्रता स्वागत कैसा।।

याचिकाकर्ता ने तत्कालीन समय में छात्रों का आव्हान करते हुए "छात्र बन्धुओं – जागो भारत माता तुम्हें पुकार रही" नामक कविता की रचना सन् 1941 में की जो इस प्रकार है :

छात्र बन्धुओं जागो भारत माता तुम्हें पुकार रही

भारत माता पीड़ित है, पानी रिपुओं के शासन से ।

कष्ट निवारण करने के हित, मोहन दौड़े आसन से ।।

लाखों गौवें काटी जाती, घायल तुम्हें निहार रहीं ।

छात्र बंधुओं जागो भारत माता तुम्हें पुकार रहीं ।

छात्र बंधुओं तुम तो, उस जलियॉन बाग का ख्याल करो ।

बढ़ जाओ बदला लेने, उन रिपुओं का बेहाल करो ।।

दीन अनाथों अबलाओं की व्यथा न मुझसे जाय कही।

छात्र बंधुओं जागो भारत माता तुम्हें पुकार रही ।।
चरखा तकली धारण करके, वीरों आगे बढ़ जाओ ।
सत्य अहिंसा शांति चक्र ले, रणभूमि में अड़ जाओ ।
मोहन की शिक्षा अपनाओ कहता हूँ मैं सही–सही ।।
छात्र बंधुओं जागो भारत माता तुम्हें पुकार रही ।।

इसी प्रकार उन्होंने "बंन्दी का बसंत" कविता की रचना दिनांक 12–2–1943 को की । उन्होंने अन्य अनेक कविताओं सहित छत्तीसगढ़ पृथक राज्य हों एवं "छत्तीसगढ़ की वंदना" नामक कवितायें भी लिखीं। याचिकाकर्ता की कविताओं को सुनकर–पढ़कर लोगों में देश प्रेम की भावना का नवीन संचार होता था तथा वे ब्रिटिश शासन के विरूद्व कार्य करते थे तथा जेल जाते थे । इन सब बातों के होते हुए भी जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान निधि देने का प्रश्न उठा तो उन्हें इससे वंचित रखा गया जबकि ऐंसे लोगों को भी सम्मान निधि का लाभ दिया गया जो आयकर दाता हैं ।

3. सम्मान निधि प्रदान किये जाने हेतु जो नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार ऐसे लोग सम्मिलित हैं जो जेल गये हों या भूमिगत रहे हों । याचिकाकर्ता जो कि

एक कवि भी है ने सन् 1941–42 में कवितायें लिखकर लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया एवं उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु जाग्रत किया । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नियमों में जो संशोधन किया गया है उनमें नियम 2(ख) (8) इस प्रकार है कि –"जो अंडर ग्राउन्ड रहे हों किन्तु जिन्होंने कोई कैद नहीं भुगती हो, यदि वे (1) अपराधी उद्घोषित किये गये हों, (2) ऐसे व्यक्ति हों, जिनकी गिरफ्तारी के लिये इनाम घोषित कर दिये गये हों किन्तु जो गिरफ्तार नहीं किये गये हों या (3) ऐसे व्यक्ति, जिनके लिये निरोधादेश जारी कर दिये गये हों, किन्तु तामील नहीं किये गये हों ;

स्पष्टीकरण –4– यदि कोई सैनिक अपने द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किसी रूप में भाग लेने संबंधी जेल का रिकार्ड अथवा अन्य सरकारी प्रमाण अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत न कर सकें तो उसके जिले के या समीपवर्ती जिले के किसी प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सैनिक द्वारा प्रमाणीकरण जिसे लोक सभा या विधान सभा के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य के द्वारा ताईद किया गया हो स्वीकार कर लिया जायेगा। लोकसभा, विधान सभा सदस्य के लिये

प्रमाणित किये जा रहे व्यक्तिगत सैनिक का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।"

4. याचिकाकर्ता के सम्बंध में श्री रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल एवं श्री केजूराम चंद्राकर जो प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं ने प्रमाण पत्र दिये हैं । श्री मोतीलाल वोरा जो मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री तथा उत्तरप्रदेश राज्य में राज्यपाल के पद पर रहे हैं उन्होंने भी याचिकाकर्ता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होकर भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का प्रमाण पत्र दिया है । डॉ.प्रभूदयालु अग्निहोत्री, अध्यक्ष, भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 स्वर्ण–जयन्ती समारोह समिति, ने याचिकाकर्ता को सम्मान पत्र जारी किया है । कलेक्टर दुर्ग ने दिनांक 12 जनवरी 1994 को अपने ज्ञापन, जो कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल एवं उसकी प्रतिलिपि उप सचिव भारत सरकार,गृह मंत्रालय को भेजी गई है, में यह उल्लेख किया है कि पुलिस अधीक्षक के पत्र कमांक आर/एस.पी.–506/89 दिनांक 23.9.89 के अनुसार श्री गुप्ता 1942 के आंदोलन के समय कविता लिखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रोत्साहित

किया करते थे उसी समय उनके नाम थाना दुर्ग से वारंट जारी हुआ था वे दोस्तों की सलाह से भूमिगत हो गये थे तथा कांग्रेस के आंदोलन के माध्यम से बुलेटिन वारंट कर प्रोत्साहित करते थे एवं लगभग एक वर्ष तक भूमिगत रहे । मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना कमांक 1–153–86–एक–1 दिनांक 25–4–९ । मं.प्र.स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम 1972 के नियम 2 के उपनियम–2 के पश्चात स्थापित उपनियम–3 के अनुसार शासकीय अभिलेखों की अनुपलब्धता की दशा में किसी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकेगा, जो तीन मास का कारावास भुगत चुका हो और उसी राजस्व संभाग का हो । सर्व श्री रघुनंदन सिंह सिंगरौल एवं केजूराम चंद्राकर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो तीन मास से अधिक का कारावास भुगत चुके हैं और राजस्व संभाग रायपुर के ही हैं । ऐसी स्थितियों में श्री गुप्ता के आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । एतद् अनुसार श्री गुप्ता को राज्य सम्मान निधि स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है ।

5. स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले इस योद्वा का प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 30–12–1988 के द्वारा मात्र दो लाइनों में यह कहते हुए निरस्त किया कि – नियुमानुसार पात्रता न होने से राज्य सम्मान निधि हेतु आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया । सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 15–1–95 के द्वारा कलेक्टर, दुर्ग को सूचित किया गया कि – उपरोक्त विषय में उपसमिति के निर्णयानुसार अवगत कराया जाता है कि आवेदक का प्रकरण पूर्व में सम्मान निधि नियमानुसार पात्रता नहीं है – होने के कारण अमान्य किया गया था, पुनः कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रकार से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रेषित विस्तृत रिपोर्ट के बावजूद भी शासन ने उन बिंदुओं का, जिनका कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ता का प्रकरण यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि पूर्व में पात्रता नहीं होने से प्रकरण निरस्त किया जा चुका है एवं पुनः

(117)

कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः पुनः अस्वीकार किया जाता है ।

6. याचिकाकर्ता ने उक्त आदेशों को इस परमादेश याचिका में चुनौती दी है । आदेश दिनांक 30–12–1988 पढ़ने मात्र से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रकरणों मे कितना ध्यान दिया जाता है तथा कैसी प्रकिया अपनाई जाती है । जब स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे सेनानियों ने भाग लिया था तब किसी सम्मान या लाभ पाने की आशा से ऐसा नहीं किया था । वर्तमान प्रकरण में यदि जरा सा भी ध्यान दिया जाता तो स्पष्ट हो जाता कि जिस समय लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुँह खोलने की हिम्मत तक नहीं थी उस समय याचिकाकर्ता ने ऐसी कविताओं की रचना की तथा लोगों का आव्हान किया जिससे लोगों की देश प्रेम की भावना जागृत हुई और वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु जागृत हुए । ऐसे साहित्यकार के प्रकरण में समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निर्णय लेना चाहिये था। अत्यंत खेद का विषय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद इस प्रकरण में जैसा प्रतीत होता है वह व्यवहार किया गया जो सर्वथा अनुचित

(118)

है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकुंदलाल भंडारी तथा अन्य –विरूद्व– भारत सरकार तथा अन्य के प्रकरण में जो ए.आई.आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट,2127 में प्रकाशित किया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदान की जाने वाली सम्मान निधि की विस्तार से चर्चा की है । इस न्यायदृष्टांत के सम्बधित को निम्नानुसार उद्वत किया जाता है :–

"As regards the contention that the petitioners had filed their applications after the date prescribed in that behalf, we are afraid that the Government stand is not justifiable. It is common knowledge that those who participated in the freedom struggle either at the national level or in the erstwhile Nizam State, are scattered all over the country and most of them may even be inhabiting the remotest parts of the rural areas. What is more, almost all of them must have now grown pretty old, if they are alive. Where the freedom fighters are not alive and their widows and the unmarried daughters have to prefer claims, the position may still be worse with regard to their knowledge of the prescribed date. What is more, if the Scheme has been introduced with the genuine desire to assist and honour those who had given the best part of their life for the country., it ill-behoves the Government to raise pleas of limitation against such claims. In fact, the Government, if it is possible for them to do so, should find out the freedom fighters or their dependents and approach them with the pension instead of requiring them to make applications for the same. That would be the true spirit of working out such

Schemes. The Scheme has rightly been renamed in 1985 as the Swatantra Sainik Samman Pension Scheme to accord with its object. We, therefore, cannot countenance the plea of the Government that the claimants would only be entitled to the benefit of the Scheme if they made applications before a particular date notwithstanding that in fact they had suffered the imprisonment and made the sacrifices and were thus otherwise qualified to receive the benefit. We are, therefore, of the view that whatever the date on which the claimants make the applications, the benefit should be made available to them. The date prescribed in any past or future notice inviting the claims, should be regarded more as a matter of administrative convenience than as a rigid time-limit.

Coming now to the last contention advanced on behalf of the Government viz., that the benefit of the Scheme should be extended only from the date the claimant produces the required proof of his eligibility to the pension, we are of the view that this contention can be accepted only partially. There have been cases, as in the present case, where some of the claimants had made their applications but either without the necessary documentary proof or with insufficient proof. It is unreasonable to expect that the freedom fighters and their dependents would be readily in possession of the required documents. In the very nature of things, such documents have to be secured either from the jail records or from persons who have been named in the Scheme to certify the eligibility. Thus the claimants have to rely upon third parties. The records are also quite old. They are bound to take their own time to be available. It is, therefore, unrealistic to expect that the claimants would be in a position to produce documents within

a fixed time limit. What is necessary in matters of such claims is to ascertain the factum of the eligibility. The point of time when it is ascertained is unimportant. The prescription of a rigid time limit for the proof of the entitlement in the very nature of things is demeaning to the object of the Scheme. We are, therefore, of the view that neither the date of the application nor the date on which the required proof is furnished should make any difference to the entitlement of the benefit under the Scheme. Hence, once the application is made, even if it is unaccompanied by the requisite eligibility data, the date on which it is made should be accepted as the date of the preferment of the claim whatever the date on which the proof of eligibility is furnished."

7. यह सम्मान निधि है इसे सम्मान से ही देना चाहिये । जिसतरह से याचिकाकर्ता को दर–दर भटकाया गया है तथा उसका प्रकरण मात्र दो लाइन के आदेश से बगैर विचार किये निरस्त कर दिया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि जब बाबुओं और अधिकारियों द्वारा अनमने ढंग से लालफीताशाही जैसा कार्य किया जावेगा तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रकरण, विशेष प्रकरण होते हैं और उनपर विचार भी तत्काकीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गम्भीरता से किया जाना चाहिये, इस हेतु विशेष प्रकोष्ठ बनाना चाहिये जो संवेदनशीलता से कार्य करे, लकीर का फकीर बनकर नहीं ।

8. यह भी एक खेद का विषय है कि भारत सरकार ने इस तरह के प्रकरण इस वजह से भी निरस्त कर दिये हैं कि वे समय के अंतर्गत नहीं हैं जबकि बालमुकुंद के प्रकरण में यह निर्णय दिया गया था कि ऐसे सभी आवेदनों को स्वीकार करना पड़ेगा जो शासन द्वारा निर्धारित तिथि के बाद भी प्रस्तुत किये गये हैं "resfusal on the part of the Govt. to grant pension to freedom fighters on the ground that the applications were filed after expiry of prescribed date is not justified.Neither date of the application nor the date on which the required proof is furnished should make any difference to the entitlement of the benefit under the Scheme." उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा है कि —It is common knowledge that those who participated in the freedom struggle either at the national level or in the erstwhile Nizam State, are scattered all over the country and most of them may even be inhabiting the remotest parts of the rural areas. What is more, almost all of them must have now grown pretty old, if they are alive. Where the freedom fighters are not alive and their widows and the unmarried daughters have to prefer claims, the position may still be worse

(122)

with regard to their knowledge of the prescribed date.What is more, if the Scheme has been introduced with the genuine desire to assist and honour those who had given the best part of their life for the country, it ill-behoves the Government to raise pleas of limitation against such claims. In fact the Government, if it is possible for them to do so, should find out the freedom fighters or their dependents and approach them with the pension instead of requiring them to make applications for the same." इस निर्णय के उपरांत भी याचिकाकर्ता जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खोजकर उन्हें सम्मान निधि प्रदाय करना तो दूर, याचिकाकर्ता के सम्बंध में कलेक्टर दुर्ग की विस्तृत रिपोर्ट तक को अनदेखा करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रकरण खारिज किया है उसका कोई आधार नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के प्रकरणों का विधिसम्मत ढंग से निराकरण नहीं किया जाता है । जिस तरह से याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण किया गया वैसा किसी भी संवेदनशील और कल्याणकारी शासन हेतु कतई उचित नहीं है । पता नहीं क्यों मध्य प्रदेश राज्य शासन एवं केन्द्रीय शासन के समझ में यह बात नहीं आई कि तत्कालीन विद्मान परिस्थितियों में ऐसी

कवितायें लिखने का साहस करना ही एक सराहनीय कार्य है। स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने अपने–अपने ढंग से अनेक कार्य किये । किसी ने ब्रिटिश शासन के नियम तोड़े, किसी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, किसी ने अवज्ञा आंदोलन किए, किसी ने ऐसे कार्य किये जिनसे उन्हें जेल यातनायें दी गईं, किसी ने राष्ट्र प्रेम के गीत लिखे, किसी ने राष्ट्र प्रेम की कवितायें लिखीं ।

9. याचिकाकर्ता द्वारा जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं और इस याचिका में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वे सर्वविदित हैं । शासन ने भले इनका सम्मान नहीं किया परंतु समाज ने उन्हें अवश्य ही शिरोधार्य किया है । इस सम्बंध में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की युगल पीठ ने रिट याचिका कमांक 1566/1992 परमानंद –विरूद्व– राज्य (जिसकी प्रतिलिपि डाक्युमेंट–29 है) स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि प्रदाय किये जाने के संबंध में सम्बंधित कलेक्टर की रिपोर्ट एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों को मान्य किये जाने की राय व्यक्त की है । इसी प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने रिट याचिका कमांक

287/96 अवधेश प्रसाद शुक्ला –विरूद्व– भारत सरकार तथा अन्य में इन सभी तथ्यों का समावेश किया है एवं वर्तमान याचिका के तथ्यों के समान तथ्यों के परिपेक्ष्य में सम्मान निधि प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया है ।

10. छत्तीसगढ राज्य के लिये यह गौरव का विषय है कि याचिकाकर्ता ने हिन्दी में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी में भी "स्वतंत्रता दिवस के लिए" जैसी कविताओं की रचना की । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कोटेचा ने व्यक्त किया कि छत्तीसगढ राज्य दिनांक 1 नवम्बर 2000 से अस्तित्व में आया परंतु याचिकाकर्ता ने इसकी कल्पना काफी पहले ही कर ली थी तथा "छत्तीसगढ वंदना" का सृजन सन् 1957 में ही कर लिया था । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने यह भी बताया, जिसका कि खंडन नहीं किया गया है कि – याचिकाकर्ता ने श्री सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिवीर की प्रतिमा का अनावरण किया जो सामान्यतः प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। यह अपने आप में याचिकाकर्ता के जीनव का सुखद पहलू है कि उनके करकमलों द्वारा प्रतिमा का अनावरण करवाया गया परंतु राज्य शासन द्वारा

उनके प्रकरण को जिस प्रकार हल्के ढंग से लिया गया तथा केन्द्रीय शासन द्वारा निरस्त किया गया वह अत्यंत खेद का विषय है । याचिकाकर्ता का पूरा जीवन संग्राम में बीता । अतः राज्य शासन का यह दायित्व बन जाता है कि याचिकाकर्ता को यथायोग्य सम्मान दिया जावे ।

11. राज्य शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ निर्मल कुमार शुक्ला ने जिन तिथियों में पैरवी की एवं उप–महाधिवक्ता श्री संजय कुमार अग्रवाल ने जैसा न्यायालय को अवगत कराया कि छत्तीसगढ शासन एक संवेदनशील व कल्याणकारी शासन है, वह इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वागत करता है । उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता की कविताओं का जो हिन्दी ही नहीं छत्तीसगढ़ी में भी हैं, उनका यथोचित गुणगान किया जावेगा । उनके प्रकरण पर समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं इस न्यायालय के आदेश के आलोक में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । केन्द्रीय शासन के अधिवक्ता ने भी व्यक्त किया कि यदि राज्य शासन सम्मान एवं सम्मान निधि देना चाहता है तो केन्द्रीय शासन को प्रसन्नता ही होगी ।

12. उपरोक्तानुसार समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ एवं मध्ययप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय के मतानुसार याचिकाकर्ता सम्मान निधि पाने का अधिकारी है । इस न्यायालय के समक्ष कलेक्टर की रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी गई है और न हीं किसी दस्तावेज के संबंध में कोई शंका व्यक्त की गई है। अतः यह याचिका तदानुसार स्वीकार की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्त के दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करे व याचिकाकर्ता को जो हिन्दी ही नहीं छत्तीसगढ़ी के भी विख्यात कवि हैं तथा जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कल्पना, जो अब साकार हो चुकी है, वर्षों पूर्व ही कर ली थी, को सम्मानपूर्वक सम्मान निधि विधि के अनुसार प्रदान करें व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हेतु गठित योजना के अनुरूप यथोचित समस्त लाभ उपलब्ध कराये । याचिकाकर्ता को न्याय शुल्क के मद में रूपये 7500/– का भुगतान किया जावे ।

13. जहॉ तक केन्द्रीय शासन द्वारा सम्मान देने का प्रश्न है इस सम्बंध में छत्तीसगढ शसन अपना प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजेगा तथा केन्द्र शासन उक्त प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक से दो माह की अवधि में वांछित निर्णय लेगा ।

14. उपरोक्तानुसार इस याचिका का निराकरण किया जाता है।

15. समस्त पक्षकारों को सत्य प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जाये ।

Sd/-
Fakhruddin
Judge